मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त, 1997 (श्रावण 10, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री विक्रम वर्मा, ईश्वरदास रोहाणी, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, धार जिले में खनिज रायल्टी की फर्जी पुस्तिकाएँ छपवाकर राजस्व की चोरी होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लोकेन्द्र सिंह तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, पन्ना के तत्कालीन जिलाध्यक्ष द्वारा अवैध रूप से शस्त्र लायसेंस जारी किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के सिरोंज नगर में अस्पताल भवन के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री कैलाश चावला, सदस्य, मंदसौर जिले के राजनैतिक कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा यातनायें देने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. विजय सिंह राजपूत, श्री रमेश चन्द्र सिंह राठौर, कुंवर विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम मूंदी स्थित दशहरा मैदान पर अवैध निर्माण होने की ओर उपमुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वनपुरा खुर्द में डकैती की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, खरगोन जिले के सेंधवा स्थित कपास फैक्ट्रियों में आग लगने से हुई क्षति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री प्रभात कुमार पाण्डेय, सदस्य, जबलपुर जिले के गोसलपुर स्थित विद्युत संयंत्र इकाई को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, ग्वालियर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शक्कर पानी में भीगने से हुई क्षति की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी अभ्यारण्य में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बाबूलाल गौर, सदस्य, बिलासपुर जिले के लोक निर्माण उप संभाग पेन्ड्रा में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, ग्वालियर जिले के रायरू स्थित डिस्टिलरी द्वारा गन्दा पानी नदी-नालों में छोड़े जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के वन मण्डल क्षेत्रों में फर्जी अभिलेख पर राशि का आहरण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय 3 घन्टे (शेष 1 घन्टा 20 मि.)	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 तथा निजी क्षेत्रों में सौंपी गई विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी.पी.ए.) दिनांक 11 नवम्बर, 1994 एवं दिनांक 27 मई, 1996 पर चर्चा....(क्रमशः).

6. अशासकीय विधि विषयक कार्य

45 मि.	श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा विधेयक, 1997 (क्रमांक 24 सन् 1997) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में संचालित निजी नर्सिंग होम द्वारा ली जा रही फीस पर नियंत्रण हेतु शासन पहल करे".

(2) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में शस्त्र लायसेंस प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया जाय".

(3) श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में सीलिंग भूमि के प्रकरणों का शीघ्र निपटारा कर सीलिंग से निकली कृषि एवं वन भूमि के पट्टों का आवंटन भूमिहीनों को शीघ्र किया जाय".

(4) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि सांसद एवं विधायक निधि से कराये जा रहे विकास कार्यों को क्षेत्रीय जन समितियों द्वारा ही करवाया जाय".

भोपाल :
दिनांक 31 जुलाई, 1997

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा